राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 198 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :— 18.09.2023

1. धन्ना आ0 नंदा जाति बैरवा निवासी जाखोलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. रामकिशन आ0 नंदा जाति बैरवा निवासी जाखोलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मंगला आ0 नंदा जाति बैरवा निवासी जाखोलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. शांतिबाई पुत्री नंदा जाति बैरवा निवासी जाखोलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. लादू आ0 श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी जाखोलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. भूलाबाई पुत्री श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी जाखोलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. पाना बाई पुत्री श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी जाखोलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. कल्ली बाई पुत्री श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी जाखोलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थीगण :— पेरोकार सरकार

दिनांक :— 07 / 10 / 2024

निर्णय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा 372 रकबा 1.6349 हैक्टेयर, 373 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, 383 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, 384 0.3157 हैक्टेयर, 385 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, 386 रकबा 0.5827 हैक्टेयर, 387 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, 388 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, 429 रकबा 0.0243 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 3.4075 हैक्टेयर वाके ग्राम जाखोलीकला पटवार हल्का नेगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 में खातेदार के स्थान पर अंकित भूमि में भूरा पुत्र नंदा 1/2 हिस्सा, श्रीकिशन पुत्र नंदा हिस्सा 1/2 अंकित है। नंदा, भूरा और श्रीकिशन का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण श्रीकिशन व नंदा के वारिसान है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज नंदा, श्रीकिशन पिता भूरा के नाम अंकित थी जमाबंदी सम्वत 2004, 2007 व 2008 की एवं सेटलमेंट खसरा संलग्न है। उक्त आराजी के सेटलमेंट से पूर्व के खसरा

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

संख्या 290, 298, 299, 300, 301, 302, 303, व 343 थे। उक्त भूमिया सम्वत 2007–08 में श्रीकिशन, नंदा पिता भूरा के नाम अंकित थी। सेटलमेंट खसरा में भी उपरोक्त नाम अंकित है लेकिन सेटलमेंट जमाबंदी एवं उसके बाद की नवीनं जमाबंदी में श्रीकिशन, नंदा पिसरान भूरा के स्थान पर भूरा श्रीकिशन पिता नंदा अंकित कर दिया है जिसके कारण मृतको के फोति इंतकाल नहीं खुल पा रहे हैं। उक्त त्रुटि सेटलमेंट के बाद भूलवश होना प्रतीत होती है उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि है जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने लिए राजस्व अधिकारियों से निवेदन किया अंतिम बार अगस्त 23 मे निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा न्यायालय से दुरूस्ती का आदेश लाने की सलाह दी गई यही वाद कारण है। वाद कारण अगस्त 2023 से लगातार उत्पन्न हो रहा है अतः प्रार्थना पत्र अवधि मध्य पेश है। उक्त प्रार्थना पत्र फोती इंतकाल न खुलने के कारण पेश करना पड रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रकृति का है इसलिए प्रार्थना पत्र दो माह का नोटिस दिए बिना पेश किया जा रहा है। धारा 80 का आवेदन अलग से संलग्न है। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में अपने पूर्वजों के नाम भूरा आ नंदा श्रीकिशन आ0 नंदा के स्थान पर पूर्ववत श्रीकिशन, नंदा पिसरान भूरा अंकित कराने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलवाने पर पेश है। भूमिया श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः श्रीमान को प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार प्राप्त है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि दुरस्त कर भूरा आ0 नंदा, श्रीकिशन आ0 नंदा के स्थान पर पूर्ववत श्रीकिशन, नंदा पिसरान भूरा अंकित किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार कार्यालय तहसीलदार हिण्डोली का पत्रांक :– राजस्व/24/1101 दिनांक :– 07.06.2024 द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम जाखोलीखुर्द के खाता संख्या 40 किता 9 रकबा 3.4075 हैक्टेयर भूरा पुत्र नन्दा हिस्सा 1/2, श्रीकिशन पुत्र नन्दा हिस्सा 1/2 जाति बैरवा सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उपस्थित पडोसी खातेदारों से जानकारी करने पर उपरोक्त वर्णित भूमि पर श्रीकिशन पिता भूरा के वारिसानों में पुत्र लादू व नन्दा पिता भूरा बैरवा के वारिसानों में पुत्र धन्ना, रामकिशन, मगना का कब्जा होना बताया गया। मौके पर उपस्थित मोतबिरानों से श्रीकिशन व नन्दा के बारे में जानकारी करने पर मोतबिरानों द्वारा बताया कि श्रीकिशन व नन्दा दोनों सगे भाई थे जिनके पिता का नाम भूरा था। श्रीकिशन व नन्दा दोनों की मृत्यु होना ग्रामवासियों द्वारा बताया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता भूरा पुत्र नंदा, श्रीकिशन पुत्र नंदा के स्थान पर नंदा, श्रीकिशन पिता भूरा सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी अनुसार दर्ज किया जावें, क्योंकि वर्तमान जमाबंदी में उक्त गलत अंकन सेटलमेंट जमाबंदी लेखन के दौरान लिपिकीय त्रुटि से हुआ है।

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जमाबंदी सम्वत 2076–2079, जमाबंदी सम्वत 2011–2014, जमाबंदी सम्वत 2021–2024 पेश किए है जिनमें प्रार्थीगण के पिता व उनके दादाजी का सही नाम श्रीकिशन, नंदा पिता भूरा कौम बैरवा अंकित है। प्रकरण में श्रीकिशन, नंदा पिता भूरा कौम बैरवा के स्थान पर श्रीकिशन पिता नंदा, भूरा पिता नंदा सेटलमेंट जमाबंदी लेखन में लिपिकीय त्रुटि से अंकन होना जाहिर आया है। प्रकरण में जबाव पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 70 वाके ग्राम जाखोलीकला पटवार मण्डल नेगढ तहसील हिण्डोली में दर्ज भूरा पुत्र नंदा, श्रीकिशन पुत्र नंदा के स्थान पर पूर्ववत श्रीकिशन, नंदा पिता भूरा शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 07.10.2024 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

07/10/2024

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली